संख्या–3/1/1981–कार्मिक

प्रेषक,

श्री मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1––शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

2––समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–1 दिनांक लखनऊ, 16 अप्रैल, 1981

विषय :––परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सरकारी कर्मचारियों (औद्योगिक और गैर औद्योगिक) को "छोटे परिवार का आदर्श" अपनाने की ओर प्रेरित करने के लिये नसबन्दी आपरेशन (Sterilisation operation) कराने वालों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं जिनका उल्लेख पार्श्वांकित पत्रों में किया गया है।

1––संख्या 4561/2 बी––184–59, दिनांक 19 दिसम्बर, 1959
2––संख्या–4122/2 बी––184–59, दिनांक 11 नवम्बर, 1960
3––9/5/67–नियुक्ति (ख), दिनांक 12 जनवरी, 1968
4––9/6/67–नियुक्ति (ख), दिनांक 13 जनवरी, 1968
5––संख्या–8/2/70–नियुक्ति (ख), दिनांक 12 अप्रैल, 1971
6––संख्या–8/3/1969–नियुक्ति (3), दिनांक 27 दिसम्बर, 1971
7––संख्या–3/1/1974–नियुक्ति–3, दिनांक 17 जुलाई, 1975
8––संख्या–3/2/1975–कार्मिक–1, दिनांक 26 नवम्बर, 1975
9––संख्या–3/1/1976–कार्मिक–1, दिनांक 9 दिसम्बर, 1976

2––इस दिशा में और अधिक प्रेरणा दिये जाने के लिये वर्तमान उपबन्धों/ आदेशों को और अधिक उदार बनाने के प्रश्न पर प्रदेश शासन द्वारा विचार किया गया है और समुचित विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय पर विद्यमान सभी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये आदेशों के अनुसार राज्याधीन कर्मचारियों (औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक), जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य (राज्य सरकार के अधीन कार्यरत) भी सम्मिलित हैं, को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

(1) जो पुरुष सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन वेसेकटोमी आपरेशन करायें उन्हें अधिक से अधिक 6 कार्य दिवसों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये। यदि पहला आपरेशन विफल हो जाने के कारण किसी कर्मचारी का दूसरी बार वेसेकटोमी आपरेशन होता है तो संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कि पहला आपरेशन विफल होने के कारण दूसरा आपरेशन किया गया था, पुनः अधिक से अधिक 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

(2)–(क) जिन महिला सरकारी कर्मचारियों का प्रसूति अथवा गैर प्रसूति ट्यूबक्टोमी आपरेशन होता है, उन्हें अधिक से अधिक 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

(ख) जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के अन्तरा–गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति अपनाई है उन्हें उक्त युक्ति (आई0 यू0 सी0 डी0) के स्थापन के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय।

(ग) जिन महिला सरकारी कर्मचारियों का चिकित्सीय गर्भ समाप्ति (एम0 टी0 पी0) के बाद सैलिपन्जेक्टोमी (Salpingectomy) आपरेशन होता है, उन्हें अधिक से अधिक 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये।

(3)–(क) जिन पुरुष सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों का पहली बार अथवा आपरेशन विफल होने के कारण दूसरी बार प्रसूति अथवा गैर–प्रसूति ट्यूबक्टोमी आपरेशन (परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन) होता है, उन्हें 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये, परन्तु शर्त यह है कि उन्हें इस आशय का एक चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना

होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि पहला आपरेशन विफल हो जाने के कारण उनकी पत्नियों का दूसरी बार ट्यूबक्टोमी आपरेशन हुआ है। उक्त प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा कि सरकारी कर्मचारी की पत्नी द्वारा स्वास्थ्य लाभ करने के दौरान उसकी देखभाल करने के लिये कर्मचारी की उपस्थिति आवश्यक है।

(ख) जिन पुरुष सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों का चिकित्सीय गर्भ समाप्ति (एम० टी० पी०) के बाद ट्यूबक्टोमी/सैल्पिन्जेक्टोमी आपरेशन होता है, उन्हें 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय, परन्तु शर्त यह है कि उन्हें इस आशय का एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उनकी पत्नियों का चिकत्सीय गर्भ समाप्ति के बाद ट्यूबक्टोमी/सैल्पिन्जेक्टोमी आपरेशन हुआ है। उक्त प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा कि सरकारी कर्मचारी की पत्नी द्वारा स्वास्थ्य लाभ करने के दौरान उसकी देखभाल के लिये कर्मचारी की उपस्थिति आवश्यक है।

(4) जिस सरकारी कर्मचारी को आपरेशन के बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण, नसबन्दी आपरेशन कराने के लिये निर्धारित सीमा से अधिक विशेष आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता हो, उसे उतनी अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाय जिसमें उसे आपरेशन के बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण अस्पताल में रहना पड़ता है, परन्तु शर्त यह है कि उसे संबंधित अस्पताल प्राधिकारियों/किसी प्राधिकृत चिकित्सक से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त बेसेक्टोमी आपरेशन के मामले में 7 दिन तथा ट्यूबक्टोमी आपरेशन के मामले में 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश का अतिरिक्त लाभ भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दिया जाय जिन्हें नसबन्दी आपरेशन के बाद अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, किन्तु साथ ही उन्हें कार्य करने के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता, परन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित अस्पताल के उपयुक्त प्राधिकारी/किसी प्राधिकृत चिकित्सक का एक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाये।

(5) जिन सरकारी कर्मचारियों का नस को पुनः जोड़ने के लिए आपरेशन हो, उन्हें 21 दिन तक की अवधि के लिए अथवा अस्पताल में भर्ती रहने तक की वास्तविक अवधि के लिए जिसे प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया गया हो, इनमें जो भी कम हो, विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये। इसके अतिरिक्त यह आपरेशन कराने के लिये जाने तथा आने के लिये की गई यात्रा की वास्तविक अवधि के लिये भी विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। नस को पुनः जुड़वाने के आपरेशन (जिसमें चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का आश्वासन नहीं होगा) के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(1) आपरेशन ऐसे किसी अस्पताल/चिकित्सा कालेज/संस्थान में किया जाना चाहिये, जहाँ नस को पुनः जोड़े जाने के लिये सुविधायें उपलब्ध हों। यदि यह आपरेशन किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया जाता है तो ऐसा अस्पताल राज्य सरकार द्वारा नस को पुनः जोड़ने का आपरेशन करने के लिये नामित होना चाहिये।

(2) विशेष आकस्मिक अवकाश के लिये किये गये अनुरोध के साथ आपरेशन करने वाले चिकित्सक का इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना चाहिये कि प्रमाण-पत्र में दिखाई गई अवधि में सरकारी कर्मचारियों को अपने आपरेशन के लिये तथा आपरेशन के बाद स्वस्थता प्राप्त करने के लिये अस्पताल में रहना आवश्यक था।

ऊपर निर्दिष्ट सुविधा उन सरकारी कर्मचारियों को दी जा सकती है जो—

(क) अविवाहित हों, अथवा

(ख) जिनके दो से कम बच्चे हों, अथवा

(3) जो वास्तविक कारणों से नस को पुनः जुड़वाना चाहते हैं।

उदाहरणार्थ जिस व्यक्ति के सभी लड़के अथवा लड़कियों की मृत्यु पहले किये गये बेसेक्टोमी/ट्यूबक्टोमी आपरेशन के बाद हो गई हो।

(6) नसबन्दी/नस को पुनः जुड़वाने से सम्बन्धित विशेष आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश से पहले जोड़ दी जाय, किन्तु इसे आकस्मिक अवकाश के साथ अथवा नियमित अवकाश के बाद नहीं जोड़ा जा सकता।

2—ऐसे पिछले प्रसंगों पर जो इस आदेश के जारी होने से पूर्व निर्णीत हो चुके हों, पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव।

संख्या-3/1/1981(1)—कार्मिक—1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के सचिव।
3—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5—मन्त्रियों के निजी सचिवों को मन्त्री महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,
मोहन चन्द्र जोशी,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—3 सा० कार्मिक—8-5-81—9,500 प्रतियां (हिन्दी)